न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 237–एक/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–11–07 पारित द्वारा तहसीलदार, मंदसौर प्रकरण कमांक 51/अ–6/05–06.

———

मोहम्मद शाहिद पुत्र एहमदनूर
निवासी गुदरी मंदसौर
जिला मंदसौर ——— आवेदक

विरूद्ध

1– मोहम्मद शाकिर पुत्र मोहम्मद शफी
2– मोहम्मद जरीफ पुत्र मोहम्मद शफी
निवासीगण गुदरी मंदसौर
जिला मंदसौर ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10 दिसम्बर, 14 को पारित)

———

यह निगरानी तहसीलदार, मंदसौर के प्रकरण कमांक 51/अ–6/05–06 में पारित आदेश दिनांक 6–11–07 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 109 व 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 273 में रकबा 0.627 आरी का मौखिक हिबा भूमिस्वामी अनावेदकों द्वारा उनके समक्ष दिनांक 10.4.98 को किया गया है अतः उक्त भूमि पर अनावेदकों के स्थान पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया जाये । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 25.4.06 द्वारा आवेदक का नामांतरण अनावेदकों के स्थान पर स्वीकार किया गया । इस आदेश के 6 माह पश्चात तहसीलदार ने इस आधार

पर की उक्त भूमियों के संबंध में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है इस कारण उक्त आदेश का पुनरावलोकन किया जाना है और उन्होंने पुनरावलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेजा । इस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकारों को बिना सुने दिनांक 1–11–06 को पुनरालोकन की अनुमति प्रदान की । अनुमति प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार ने बिना पक्षकारों को सुने सीधे दिनांक 6–11–06 को आदेश पारित करते हुए पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25.4.06 निरस्त किया गया । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध हैं । वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक हैं जिन्होंने आवेदक के पक्ष में हिबा द्वारा भूमि का अंतरण किया है जसके आधार पर आवेदक का विधिवत नामांतरण तहसीलदार द्वारा किया गया ।

यह तर्क दिया गया कि प्रकरण दो प्राइवेट पक्षकारों के मध्य होकर एक पक्ष से दूसरे पक्ष के नाम भूमि अभिलेख में नामांतरण की गई है जिसमें अनावेदकों ने कोई आपत्ति नहीं की ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अपने आदेश का पुनरावलोकन करने बावत प्रकरण भेजने में त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी पुनरावलोकन की अनुमति देने में विधिक त्रुटि की गई है क्योंकि प्रकरण में पुनरावलोकन का कोई आधार नहीं था न किसी पक्षकार ने आवेदन किया था । तहसीलदार ने पुनरावलोकन प्रतिवेदन में विभिन्न न्यायालयों में विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण लंबित होना बाया है जबकि ऐसे किसी प्रकरण की नकल पत्रावली में नहीं है ।

यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने पुनरावलोयकन की अनुमति बिना आवेक को सुने दी है जो अवैधानिक है क्योंकि पुनरावलोकन की अनुमति के पूर्व संबंधित पक्ष को सूचना व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टात इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 (उच्च न्यायालय) एवं 2007 आर.एन. 77 का हवाला दिया गया है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि तहसीलदार द्वारा अवैधानिक रूप से दी गई पुनरावलोकन की अनुमति प्राप्त होने के 5 दिवस के अंदर ही आवेदक को बिना सुने मनमाने तरीके से आदेश आलोच्य आदेश पारित

कर पूर्व के आदेश दिनांक 25.4.06 को निरस्त किया गया है जो अधिकारिता रहित है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी आवेदक अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन । अभिलेख के अवलोकन से इस स्पष्ट है कि इस प्रकरण में हिबा नामे आधार पर अनावेदकों के स्थान पर आवेदक का नामांतरण किया गया है । जिसे कोई चुनौती अनावेदकों द्वारा नहीं दी गई है । तहसीलदार ने इस आधार पर अपने पूर्व के आदेश के पुनरावलोकन की अनुमति चाही गई है कि उक्त भूमि से संबंधित प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है जबकि इस संबंध में कोई प्रमाण उनके अभिलेख में नहीं हैं ना ही उभयपक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा तहसीलदार के नामांतरण आदेश के पुनरावलोकन हेतु आवेदन तहसीलदार को नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में पुनरावलोकन का कोई आधार न होते हुए भी तहसीलदार ने पुनरावलोकन की जो कार्यवाही है वह अवैधानिक है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई है वह भी विधिसम्मत नहीं है क्योंकि उक्त अनुमति अनुविभागीय अधिकारी ने प्रभावित पक्ष को सुने बिना प्रदान की गई है जो संहिता की धारा 51 के प्रावधानों के विपरीत है । न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मंडल या अन्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाने से पूर्व प्रतिपक्ष को सूचनापत्र निर्वाहित किया जाना और उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार की व्यवस्था न्यायदृष्टांत 2007 आर0एन0 77 में राजस्व मंडल के विद्वान अध्यक्ष द्वारा दी गई है । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिपक्ष (आवेदकों) को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुमति प्रदान की गई है जो उक्त न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत नहीं है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने अनुमति प्राप्त होने के उपरांत भी पक्षकारों को बिना सुने सीधे आदेश पारित कर दिया गया, उनकी उक्त कार्यवाही भी किसी भी दृष्टि से समर्थनीय नहीं है ।

6/ इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत क्रिमनल अपील नं. 773/2002 में पारित आदेश दिनांक 24–4–07 की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति तथा पंचनामा दिनांक 30.6.07 की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति पेश की गई है । उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने अनावेदक कमांक 1 की संपत्तियों को जिसमें प्रश्नाधीन भूमि भी शामिल है को कुर्क किया जाना अवैध मानते हुए उन्हें रिलीज करने के आदेश दिए हैं । इस आदेश के परिपालन में कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियों को भी अटैचमेंट से मुक्त किया जाकर कब्जा भी अनावेदक कमांक – 1 की पत्नि को दिया जा चुका है, यह प्रस्तुत पंचनामा से स्पष्ट है । उक्त कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 6–11–06 अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, मंदसौर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 6–11–06 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा उनके द्वारा पूर्व में पारित नामांतरण आदेश दिनांक 25–4–06 स्थिर रखा जाता है तथा तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे नामांतरण आदेश दिनांक 25–4–06 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम इन्द्राज करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर